भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2969
(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आधार आधारित भुगतान प्रणाली

2969. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के लिए अपात्र सभी कामगारों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) एबीपीएस के लिए अपात्र सक्रिय कामगारों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि एबीपीएस के लिए अपात्र कामगार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) का लाभ उठा सकें?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) के लिए पात्र नहीं होने वाले कुल श्रमिकों के प्रतिशत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा 12.03.2025 तक अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) के लिए पात्र नहीं होने वाले सक्रिय श्रमिकों के प्रतिशत का 12.03.2025 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I। में दिया गया है।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) केवल भुगतान का एक तरीका है, और एपीबीएस के साथ बैंक खाता नहीं जुड़े होने के कारण काम की मांग को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। मंत्रालय इसके कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी करता है तथा श्रमिकों को उनके अधिकार प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए आवश्यक उपाय करता है , तथा यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पात्र लाभार्थी अपनी उचित मजदूरी से वंचित न रहे। जब भी कोई मुद्दा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र या किसी अन्य हितधारक द्वारा उठाया जाता है , तो उसका प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया जाता है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। ग्रामीण परिवार इस योजना के तहत स्वयं को पंजीकृत करा सकते हैं और ग्राम पंचायतों सहित विभिन्न मंचों पर रोजगार की तलाश कर सकते हैं। क्षेत्रीय प्राधिकारियों को इच्छुक अकुशल श्रमिकों को जोड़ने के लिए हर महीने कम से कम एक बार रोजगार दिवस आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 18.03.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2969 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 12.03.2025 तक आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) के लिए पात्र नहीं होने वाले श्रमिकों की राज्य /संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या और प्रतिशत अनुबंध में दिया गया है।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल श्रमिकों की संख्या	एपीबीएस के लिए पात्र न होने वाले श्रमिकों का प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	12262973	1.76
2	अरुणाचल प्रदेश	469919	23.92
3	असम	10511449	41.12
4	बिहार	22900741	31.39
5	छत्तीसगढ़	7798425	3.60
6	गोवा	51321	66.40
7	गुजरात	9702355	58.72
8	हरियाणा	2375425	33.26
9	हिमाचल प्रदेश	2837576	27.41
10	जम्मू और कश्मीर	2354477	21.78
11	झारखंड	10292182	38.61
12	कर्नाटक	17991304	33.11
13	केरल	5717603	17.49
14	लद्दाख	50387	0.77
15	मध्य प्रदेश	17547654	28.27
16	महाराष्ट्र	29734310	63.97
17	मणिपुर	913155	23.85
18	मेघालय	1223842	40.45
19	मिजोरम	240217	6.65
20	नागालैंड	773310	65.98
21	ओडिशा	10465254	9.68
22	पंजाब	2891727	20.49
23	राजस्थान	23023741	24.81

24	सिक्किम	137183	15.39
25	तमिलनाडु	10962718	3.69
26	तेलंगाना	10451136	33.81
27	त्रिपुरा	1223565	4.85
28	उत्तर प्रदेश	21903876	8.23
29	उत्तराखंड	1573250	2.63
30	पश्चिम बंगाल	25627676	17.01
31	अंडमान और निकोबार	52804	39.24
32	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	41536	64.43
33	लक्षद्वीप	16637	57.75
34	पुदुचेरी	115264	16.10
	कुल	**264234992**	**27.89**

अनुबंध -।।

लोक सभा में दिनांक 18.03.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2969 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 12.03.2025 तक आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) के लिए पात्र नहीं होने वाले 'सक्रिय श्रमिकों' की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या और उसका प्रतिशत।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल सक्रिय श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत जो एपीबीएस के लिए पात्र नहीं हैं
1	आंध्र प्रदेश	9718016	0.04
2	अरुणाचल प्रदेश	352527	8.23
3	असम	5383438	10.29
4	बिहार	9693647	6.07
5	छत्तीसगढ़	6339664	0.93
6	गोवा	7393	11.23
7	गुजरात	2656720	0.24
8	हरियाणा	906978	5.49
9	हिमाचल प्रदेश	1453850	0.69
10	जम्मू और कश्मीर	1547630	1.77
11	झारखंड	4036445	2.05
12	कर्नाटक	8290882	0.78
13	केरल	2503818	0.02
14	लद्दाख	38964	0.35
15	मध्य प्रदेश	10106290	0.13
16	महाराष्ट्र	7943428	6.08
17	मणिपुर	700735	11.95
18	मेघालय	874158	24.44
19	मिजोरम	219678	1.29
20	नागालैंड	591864	59.16
21	ओडिशा	6949228	1.97
22	पंजाब	1566185	7.29
23	राजस्थान	12460391	0.11

24	सिक्किम	94674	2.50
25	तमिलनाडु	9175765	0.08
26	तेलंगाना	5868636	1.24
27	त्रिपुरा	1042520	1.28
28	उत्तर प्रदेश	13416321	2.51
29	उत्तराखंड	1046878	1.00
30	पश्चिम बंगाल	10434225	13.20
31	अंडमान और निकोबार	11248	10.06
32	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	11579	0.96
33	लक्षद्वीप	187	31.55
34	पुदुचेरी	69756	2.26
	कुल	**135513718**	**3.48**